

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक : २२-५-१३

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम् श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सामने अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किया गया पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री दिनेश चन्द्र चौधे वरिष्ठ लिपिक सीआईडी (सीबी), जयपुर	5/79, गांधीनगर	30.11.2016	219/01
2	श्री अरुण कुमार वर्मा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	5/97, गांधीनगर	31.3.2046	94/04
3	श्री जगदीश प्रसाद जाट कानिं चालक नं. 987 सीआईडी (सीबी), जयपुर	5/119, गांधीनगर	31.7.2038	105/06
4	श्री विनोद कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर	5/ए/18, गांधीनगर	30.6.2041	112/06

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किया गया राजस्थान सिविल सेवा नियास रथान के किया गया का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की रिक्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रवीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिक्ति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किया जाया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी, कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किया जाया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अधिकारी को यह घोषणा करनी होगी।
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी नियन्त्रण जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
  - उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
  - क्रम संख्या 4 पर अंकित श्री विनोद कुमार शर्मा से सामान्य सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 75/- (अक्षरे पिचेतर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

१०

(मनकूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (सीबी), जयपुर
4. निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वारक्ष्य सेवाएं, जयपुर
5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
6. क्रोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
8. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिविठ०/जन स्वाठ अभिविठ०/जयपुर विविठ०निगम लिठ०, गौधीनगर, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
10. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

  
(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव